छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 2007 / 2004

याचिकाकर्ता : फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम), पोस्ट बॉक्स नं.37, इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू, भिलाई – 490 001, जिला दुर्ग, द्वारा सनत बोस, सहायक महाप्रबंधक (विधि), फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड ।

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. बी.पी.शर्मा, पिता श्री जी.पी.शर्मा, पाटनकर कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 22, दुर्ग (छ.ग.) ।

2. औद्योगिक न्यायालय, खंडपीठ रायपुर (छ.ग.)।

3. श्रम न्यायालय, द्वारा पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 / 227 के तहत याचिका।

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका संख्या 2007/2004</u>

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

<u>बनाम</u>

बी.पी. शर्मा एवं अन्य

<u>आदेश</u>

सही/–

फखरुद्दीन

न्यायाधीश

06/01/2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 2007 / 2004

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

बनाम

बी.पी. शर्मा एवं अन्य

याचिकाकर्ता की ओर से श्री रवीश अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता और श्री विनोद देशमुख, अधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्रमांक –1 की ओर से श्री प्रदीप सक्सेना, अधिवक्ता द्वारा ।

आदेश

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस याचिका के द्वारा याचिकाकर्ता ने औद्योगिक न्यायालय द्वारा 28 जून 2004 को पारित आदेश अनुलग्नक पी–1 को चुनौती दी है, जिसमें श्रम न्यायालय, दुर्ग द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी–2 दिनांक 25–2–2004 की पुष्टि की गई है ।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 1 बी.पी. शर्मा याचिकाकर्ता कंपनी का कर्मचारी है। उसे याचिकाकर्ता की कंपनी की भिलाई इकाई से उड़ीसा में डुबुरी इकाई में आदेश दिनांक 25–8–2003 अनुलग्नक पी–3 के अनुसार स्थानांतरित किया गया था ।

3. यह कहा गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 को अनुलग्नक पी–4 के अनुसार 26–8–2003 को कार्यमुक्त कर दिया गया था। यह भी कहा गया है कि इन आदेशों को उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा स्वीकार किया गया अभिस्वीकृति अनुलग्नक पी–5 में यह कहा गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 ने एक अन्य पदोन्नति मामले कांडिकाओ स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने के लिए औद्योगिक न्यायालय के समक्ष 26–8–2003 को आवेदन दायर किया था । एक अन्य पदोन्नति मामले में। औद्योगिक न्यायालय ने उस मामले में 27–8–2003 को अंतरिम अनुतोष प्रदान किया गया और उक्त आदेश की पुष्टि 8–9–2003 को की गई। कहा गया है कि उस पदोन्नति मामले में अंतिम आदेश 5–11–2003 को पारित किया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 ने श्रम न्यायालय के समक्ष छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 31(3) सहपठित धारा

61 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था। आगे यह भी कहा गया कि स्थानांतरण पर रोक लगाने के लिए अधिनियम की धारा 107 के अंतर्गत आवेदन भी श्रम न्यायालय दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। श्रम न्यायालय ने अनुलग्नक पी–8 के अनुसार 10–11–2003 को आवेदन को खारिज कर दिया था। इस आदेश अनुलग्नक पी–8 को उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा औद्योगिक न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई तथा विद्वान औद्योगिक न्यायालय ने दिनांक 28–11–2003 के आदेश के अनुसार श्रम न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया तथा मामले के निराकरण तक रोक लगा दी तथा मामले को तीन माह के भीतर निर्णीत करने के लिए श्रम न्यायालय को वापस भेज दिया गया ।

5. यह कहा गया है कि 28–11–2003 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने 6–12–2003 को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी, जिसका शीर्षक था रिट याचिका क्रमांक 4055/2003, जिसमें औद्योगिक न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह भी कहा गया है कि इस न्यायालय ने 4–2–2004 के आदेश के अनुसार श्रम न्यायालय को एक महीने के भीतर प्रकरण का निर्णय करने का निर्देश दिया था। इस न्यायालय के 4–2–2004 के आदेश के औद्योगिक न्यायालय अनुपालन में श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 25–2–2004 को अनुलग्नक पी–2 में आदेश पारित किया गया। श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 28–11–2003 को पारित आदेश में, श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 25–2–2004 को अनुलग्नक पी–2 में आदेश पारित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. श्रम न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उत्तरवादी क्रमांक 1 ने स्वयं का परिक्षण कराया गया तथा याचिकाकर्ता कंपनी ने दो साक्षियों अर्थात् एन.ए. 1 विनीत भांजा तथा एन.ए. 2 के.एल. पटेल का परिक्षण कराया । यह भी बताया गया कि श्रम न्यायालय ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित तय किए :–

(i) क्या अनावेदक द्वारा जारी आवेदक का दिनांक 25–8–2003 का स्थानांतरण आदेश अवैध है?

(ii) क्या स्थानांतरण आदेश दुर्भावनापूर्ण आशय से पारित किया गया है? यदि हाँ, तो इसका प्रभाव क्या है?

(iii) अनुतोष और व्यय?

7. यह भी बताया गया है कि विद्वान श्रम न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 1 को 5 प्रश्नों में विभाजित किया है :–

(क) क्या स्थानांतरण आदेश इसलिए जारी किया गया क्योंकि उत्तरवादी क्रमांक 1

वी.आर.एस. लेने के लिए इच्छुक नहीं था जिसके लिए प्रबंधन प्रमुख ने कर्मचारी पर दबाव डाला?

(ख) क्या स्थानांतरण आदेश में चिकित्सा आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है?

(ग) (i) क्या स्थानांतरण के कारण उसकी वरिष्ठता और पदोन्नति संबंधी पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

(ii) क्या स्थानांतरण आदेश मध्य सत्र के दौरान जारी किया गया है?

(घ) क्या स्थानांतरण आदेश बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के जारी किया गया है? क्या उत्तरवादी क्रमांक 1 को जानबूझ कर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया?

क्या उत्तरवादी क्रमांक 1 को स्थानांतरित करने तथा उसे तत्काल कार्यमुक्त करने में बहुत जल्दबाजी दिखाई गई है तथा तत्काल आवश्यकता दर्शाने के लिए कोई सामग्री न होने के कारण उक्त आदेश केवल उत्तरवादी क्रमांक 1 को परेशान करने के लिए जारी किया गया है?

(ड़) क्या स्थानांतरण आदेश को अवैध घोषित किया जा सकता है, क्योंकि जिस स्थान पर स्थानांतरण किया गया है वह स्थान बहुत दूर है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. यह कहा गया है कि प्रश्न क्रमांक 1 और 2 प्रबंधन के पक्ष में तथा प्रश्न क्रमांक 3, 4 और 5 कर्मचारी के पक्ष में निर्णीत किया गया। यह भी कहा गया है कि श्रम न्यायालय ने याचिका स्वीकार किया तथा स्थानांतरण आदेश को अभिखंडित कर दिया है।

9. यह कहा गया है कि श्रम न्यायालय के दिनांक 25–2–2004 के आदेश के विरूद्ध याचिकाकर्ता ने औद्योगिक न्यायालय में छ.ग. औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की है। अपील ज्ञापन अनुलग्नक पी–13 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। औद्योगिक न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया तथा श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 28–6–2004 के आदेश को बरकरार रखा गया, जिसे वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि स्थानांतरण सेवा की अनिवार्यता है और इस तरह से किया गया है। इस आक्षेपित आदेश का इस आधार पर भी चुनौती दिया गया है कि यह निष्कर्ष कि स्थानांतरण दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है, विधि में टिकने योग्य नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि स्थानांतरण बिल्कुल भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से नहीं किया गया है और यह लागू विधि के अनुसार सेवा की अनिवार्यता में किया गया है।

11. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उत्तरवादी के नियुक्ति आदेश अनुलग्नक पी–11 दिनांक 27 / 28–9–1984 विशेष रूप से खंड 5 का हवाला दिया और तर्क दिया कि आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उसे भिलाई संयंत्र में नियुक्त किया जाएगा, हालांकि उसकी सेवा किसी भी समय भारत के किसी भी हिस्से में कंपनी और एमएसटीसी आदि की किसी भी शाखा, विभाग में स्थानांतरित की जा सकेगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि नियुक्ति के बाद से, उत्तरवादी लगभग 19 वर्षों तक भिलाई संयंत्र में रहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वरिष्ठता और पदोन्नति पहलुओं के संबंध में उत्तरवादी की सेवा शर्तों को बनाए रखा जाएगा।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि स्थानांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि प्रमाणित स्थायी आदेशों में स्थानांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए दोनों के बीच कोई टकराव नहीं है। उन्होंने स्थायी आदेशों के खंड 36 का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि इन स्थायी आदेशों में निहित कोई भी बात किसी विधि के उल्लंघन में या लिखित सेवा संविदा, वर्तमान में लागू पु अधिनिर्णय के निराकरण के तहत किसी भी अधिकार के प्रतिकूल नहीं होगी और न ही नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई करार या अधिनिर्णय इन स्थायी आदेशों के तहत कर्मचारियों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनस्त अदालतों ने यह मान कर गंभीर अवैधता की है कि याचिकाकर्ता कंपनी को स्थानांतरण का कोई अधिकार नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि इस तरह का निष्कर्ष न केवल उत्तरवादी क्रमांक 1 के मामले को प्रभावित करता है, बल्कि सभी कर्मचारियों को भी प्रभावित करता है। यह दृढ़ता से कहा गया है कि स्थानांतरण एक अनिवार्य आवश्यकता है और जब तक कि इसे विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को स्थानांतरित करने का अधिकार है।

14. दूसरी ओर उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री प्रदीप सक्सेना ने तर्क दिया कि स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है। अनुलग्नक पी–17 प्रमाणित स्थायी आदेशों की प्रति है। अनुसूची म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 की धारा 3(बी) और 6(3) के अंतर्गत संलग्न है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रमाणित स्थायी आदेश अधिनियम केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है, जो अनुसूची में सूचीबद्ध हैं और अनुसूची में स्थानांतरण शामिल नहीं है, इस दृष्टि से प्रमाणित स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासित व्यक्तियों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। उन्होंने

तर्क दिया कि अनुसूची में स्थानांतरण की अनुमति नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान मामले में स्थानांतरण सेवा की आवश्यकता में नहीं किया गया है, बल्कि यह दंड के रूप में किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रमाणित स्थायी आदेश मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1961 के तहत तैयार किए गए हैं और राज्य अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में स्थानांतरण से संबंधित मामले शामिल नहीं हैं। अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास अपनी सेवाओं को स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित संपूर्ण विवादित निर्णय पढ़ा। उन्होंने कहा कि यदि किसी संविदा और प्रमाणित स्थायी आदेशों के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभाष है, तो प्रमाणित स्थायी आदेश के प्रावधान अभिभावी होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम श्री भगवान और अन्य (एआईआर 2001 एससी 3309) में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। उस मामले में नियुक्ति पत्र और भर्ती नियमों पर विचार किया गया था। उन्होंने यह दिखाने के लिए निर्णय के कांडिका 2 का उल्लेख किया कि यह मामला कॉरपोरेशन से संबंधित है – एक सार्वजनिक उपक्रम और आगे कहा कि उस मामले में औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) 1946 के तहत बनाए गए मॉडल स्थायी आदेश लागू थे। यह आरोप लगाया गया था कि तबादले का मकसद उत्तरवादीगण की ट्रेड यूनियन गतिविधियों हेतु को दंडित करना था। उस मामले में भी, कर्मचारी ने दुर्भावनापूर्ण तर्क दिया था। निर्णय के कांडिका 5 में यह कहा गया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी को किसी एक विशेष स्थान पर हमेशा के लिए पदस्थ रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, क्योंकि स्थानांतरणीय पदों की श्रेणी या श्रेणी में नियुक्त किसी विशेष कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण न केवल एक घटना है, बल्कि सेवा की एक शर्त भी है, जो लोक प्रशासन में सार्वजनिक हित और दक्षता आवश्यक भी है।

निर्णय का कांडिका 5 प्रासंगिक है और नीचे उद्धृत किया गया है : –

"दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुतिकरणों तथा प्रासंगिक नियमों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही हम इस पर विचार करेंगे। हमारा मत है कि उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण के विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं था। यह अब तक अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है और इस न्यायालय द्वारा अक्सर दोहराया जाता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी को किसी एक विशेष स्थान पर हमेशा के लिए तैनात होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि स्थानांतरणीय पदों की श्रेणी या श्रेणी में नियुक्त किसी विशेष कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण न केवल एक घटना है,

बल्कि सेवा की एक शर्त भी है, जो लोक हित और लोक प्रशासन में दक्षता के लिए आवश्यक है। जब तक स्थानांतरण के आदेश को सत्ता के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग का परिणाम नहीं दिखाया जाता है या किसी ऐसे स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कहा जाता है, तब तक न्यायालय या न्यायाधिकरण ऐसे आदेशों में नियमित रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जैसे कि वे अपीलीय प्राधिकारी हों, जो संबंधित सेवा की प्रशासनिक आवश्यकताओं के हित में पारित ऐसे आदेशों के विरुद्ध प्रबंधन के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय दे रहे हों। हमारे समक्ष मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हम उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता से भी सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि वरिष्ठता नियमों के नियम 4.1.1 के अनुसार किसी कर्मचारी का एक कार्यालय या परियोजना या इकाई से किसी अन्य में स्थानांतरण तब तक प्रतिबंधित है, जब तक कि ऐसे कर्मचारी की वरिष्ठता स्थानांतरण की तिथि से परे संबंधित ग्रेड में पदोन्नति या नियुक्ति की तिथि के संदर्भ में सेवा अवधि के आधार पर संरक्षित है। हम इसे केवल व्यर्थ में प्रस्तुत किया गया निवेदन मानते हैं, जो ऐसे स्थानांतरण के परिणामस्वरूप उनकी वरिष्ठता के लिए हानिकारक कथित प्रतिकूल परिणामों के आधार पर दिया गया है। वर्तमान मामलों के तथ्यों में, किसी भी दर पर, ऐसा कोई परिणाम होने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि जिस परियोजना में उत्तरवादीगण को स्थानांतरित किया गया है, वह स्वयं एक नई परियोजना है और इसलिए, हम कथित शिकायत में कोई तुक या कारण नहीं देखते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने <u>भारत संघ और अन्य बनाम श्री जनार्दन</u> के मामले का भी हवाला दिया। <u>देबानाथ और अन्य 2004 (100) एफ.एल.आर. 1015 (एस.सी.)</u> के मामले का भी उन्होंने निर्णय के कांडिका 12 का उल्लेख किया और कहा कि इस मामले में भी वरिष्ठता या पदोन्नति बरकरार रहेगी और नियम व शर्तें वही रहेंगी।

17. श्री अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा <u>उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम शिव राम एवं अन्य</u> के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया, जो 2004 (5) सुप्रीम 750 में प्रकाशित निर्णय पर भरोसा जताया है। उन्होंने निर्णय के कांडिका 5 का संदर्भ दिया, जो भी सुसंगत है और नीचे उद्धृत किया गया है :–

" 5. उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या स्थानांतरण लोक सेवा के हित में था। इसके लिए अनिवार्य रूप से तथ्यात्मक निर्णय की आवश्यकता होगी और यह अनिवार्य रूप से संबंधित मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी को किसी एक विशेष स्थान या अपनी पसंद के स्थान पर हमेशा के लिए पदस्थ

होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि स्थानांतरण योग्य पदों की श्रेणी या श्रेणी में नियुक्त किसी विशेष कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण न केवल एक घटना है, बल्कि सेवा की एक शर्त भी है, जो जन हित और लोक प्रशासन में दक्षता के लिए भी आवश्यक है। जब तक कि स्थानांतरण का आदेश दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही का परिणाम नहीं दिखाया जाता है या किसी ऐसे स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जाता है, तब तक न्यायालय या न्यायाधिकरण सामान्य रूप से ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जैसे कि वे अपीलीय प्राधिकारी हों जो संबंधित सेवा की प्रशासनिक आवश्यकताओं के हित में पारित ऐसे आदेशों के विरुद्ध नियोक्ता/प्रबंधन के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय दे रहे हों। इस स्थिति को इस न्यायालय ने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम श्री भगवान और अन्य में उजागर किया था।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता ने <u>रोहतक और हिसार इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड –v– उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य</u> (एआईआर 1966 एससी 1471), के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है उन्होंने निर्णय के कांडिका 3 और 15 का उल्लेख या। निर्णय की कांडिका 15 सुसंगत है और नीचे उद्धृत किया गया है :–

"15. फिर उन मामलों के संबंध में जो स्थायी आदेशों द्वारा आच्छादित हैं, यह तर्क स्वीकार करना संभव नहीं है कि मसौदा स्थायी आदेश अनुसूची के बाहर के मामलों से संबंधित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ मसौदा स्थायी आदेशों का मामला लें जिन्हें अपीलकर्ता पेश करना चाहता था, इनमें प्रबंधन के विवेक पर एक शाखा से दूसरी शाखा में और एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरण के लिए कर्मचारियों की देयता का संदर्भ था। इन दो स्थायी आदेशों को अपीलकर्ता के मसौदे में क्रमांक 10 और 11 के रूप में शामिल किया गया था। ये दोनों प्रावधान अनुसूची में किसी भी मद के अंतर्गत नहीं आते हैं; और इसलिए, प्रमाणित स्थायी आदेशों में उन्हें शामिल न करने का प्रमाणन प्राधिकारियों का निर्णये बिल्कुल न्यायोचित था।"

उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता ने कहा कि स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में स्थानांतरण की बात नहीं कही गई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रमाणित स्थायी आदेश अधिनियम केवल उन मामलों में लागू होता है जो अनुसूची में शामिल हैं और अनुसूची में स्थानांतरण शामिल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त निर्णय में, यह देखा गया है कि इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि मसौदा स्थायी आदेश अनुसूची के बाहर के मामलों से संबंधित हो सकते हैं। दूसरी ओर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला वर्तमान मामले से अलग है।"

19. उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता ने 2004 (5) सुप्रीम 750 (यू.पी. राज्य और अन्य बनाम सिया राम और अन्य में रिपोर्ट किए गए मामले दिये गये निर्णय का भी उल्लेख किया, यह कहा गया है कि निर्णय में कहा गया है कि जब तक स्थानांतरण का आदेश दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया न हो या ऐसे किसी स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न बताया गया हो, तब तक न्यायालय या न्यायाधिकरण सामान्य रूप से ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है और अनुसूची में स्थानांतरण की बात नहीं कही गई है, इसलिए न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

20. उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता ने 1999 (II) एलएलजे 1197 (जीप इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड बनाम जीप इंडस्ट्रियल सिंडिकेट इम्प्लाइस यूनियन ,मैसूर और अन्य) में दर्ज मामले पर भरोसा जताया। उन्होंने 1994 (III) एलएलजे सप्लीमेंट 459 (द इंडियन तंबाकू कंपनी लिमिटेड –v– औद्योगिक न्यायालय और अन्य) में दर्ज निर्णय पर भी भरोसा जताया। उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता ने कहा कि अनुसूची में स्थानांतरण से संबंधित मामलों को शामिल नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता के स्थानांतरण से उसकी वरिष्ठता और पदोन्नति संबंधी पहलू प्रभावित होंगे। उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता ने 1994 (III) एलएलजे 877 (गणेश राजन सर्विस बनाम मेसर्स बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य) में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा जताया। यह कहा गया है कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं और न्यायालय ने कांडिका 8 में माना कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पारित समाप्ति आदेश याचिकाकर्ता की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रमाणित स्थायी आदेशों का उल्लंघन करते हैं और समाप्ति आदेश शुरू से ही शून्य होंगे। उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता ने 1995 (I) LLJ81 (सोमपाल सिंह – बनाम कृत्रिम शाखा निर्माण निगम भारत) में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भी भरोसा किया।

21. पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिद्वंदी तर्क पर विचार करने के पश्चात, इस न्यायालय की राय में, स्थानांतरण सेवा की अनिवार्यता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी को किसी एक विशेष स्थान पर हमेशा के लिए पदस्थ होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि यह न केवल एक घटना है बल्कि सेवा की एक शर्त है। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि उसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, सही नहीं है। विद्वान औद्योगिक न्यायालय के आदेश का वह हिस्सा संधारणीय नहीं है। औद्योगिक न्यायालय का यह निष्कर्ष कि उत्तरवादी क्रमांक 1 को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, सेवा न्यायशास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22. अधिनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष में जो दुर्भावना है के संबंध में है कि चूंकि उत्तरवादी क्रमांक 1 को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन अदालत ने उसे बहाल करने का निर्देश दिया और पदोन्नति के संबंध में कुछ मुकदमा लंबित है, इसलिए उसका तबादला कर दिया गया है, यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि इस वजह से स्थानांतरण किया गया है। यह कहा गया है कि विद्वान औद्योगिक न्यायालय ने माना है कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 1 के बीच कोई सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध न होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि स्थानांतरण केवल इसी कारण से किया गया है। कुछ मामलों में, यदि परिस्थिति की मांग हो, तो स्थानांतरण को अनिवार्यता या कर्मचारी के हित में किया जाना चाहिए। विद्वान श्रम न्यायालय और विद्वान औद्योगिक न्यायालय का निष्कर्ष और यह कि स्थानांतरण दुर्भावनापूर्ण आशय से और उत्तरवादी क्रमांक 1 को परेशान करने के लिए किया गया है, मान्य योग्य नहीं है।

23. जहां तक उत्तरवादी क्रमांक 1 की वरिष्ठता और पदोन्नति संबंधी पहलू का संबंध है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पहले ही कहा है कि वरिष्ठता और पदोन्नति संबंधी पहलू को बरकरार रखा जाएगा और इसे न्यायालय में दोहराया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

24. जहां तक अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का संबंध है, इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुत विस्तार से निराकरण किया गया है। सूर्य देव राय -v- राम चंद्र राय और अन्य (2003(6) एससीसी 675)। सूर्य देव राय (सुप्रा) के उपरोक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि :-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत, उत्प्रेषण रिट उच्च न्यायालय द्वारा अपने मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग है; पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार क्षेत्र का प्रयोग मूल अधिकार क्षेत्र नहीं है और इस अर्थ में यह अपीलीय पुनरीक्षण या सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र के समान है। पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय न केवल आपेक्षित कार्यवाही, निर्णय या आदेश को रद्द या आपास्त कर सकता है, बल्कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार ऐसे निर्देश भी दे सकता है, जो अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण को इस बारे में मार्गदर्शन दे सकते हैं कि वह अब किस तरह से आगे बढ़ेगा या नए सिरे से आगे बढ़ेगा, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित या निर्देशित किया गया है। उचित मामलों में उच्च न्यायालय, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आपेक्षित निर्णय के स्थान पर अपना ऐसा निर्णय प्रतिस्थापित कर सकता है, जैसा कि अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण को लेना चाहिए था।संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालयों को उनके क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर रखने के लिए किया जाता है। जब अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा क्षेत्राधिकार ग्रहण कर लिया है जो उसके पास नहीं है या वह ऐसा क्षेत्राधिकार प्रयोग करने में विफल रहा है जो उसके पास है या जो क्षेत्राधिकार

उपलब्ध होने के बावजूद न्यायालय द्वारा विधि द्वारा अनुमत तरीके से प्रयोग नहीं किया जा रहा है और न्याय में विफलता या गंभीर अन्याय हुआ है, तो उच्च न्यायालय अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कदम उठा सकता है।"

सूर्य देव राय (सुप्रा), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (सुप्रा), भारत संघ और अन्य (सुप्रा) और यू.पी. राज्य और अन्य में दिए गए निर्णयों के मद्देनजर, इस न्यायालय की राय में, इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 / 227 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने की शक्ति है।

25. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात तथा पूर्वगामी कांडिकाओ में की गई चर्चा के तहत तथा विशेष रूप से चूंकि याचिकाकर्ता पिछले 19 वर्षों से भिलाई में काम कर रहा है, औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित 28 जून 2004 के आदेश तथा श्रम न्यायालय द्वारा पारित 25 फरवरी 2004 के आदेश को अपास्त किया जाता है। उत्तरवादी क्रमांक 1 को डुबुरी (उड़ीसा) में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया जाता है तथा कुछ समय पश्चात यदि उसे कोई कठिनाई महसूस होती है, तो वह संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन कर सकता है, और यदि अभ्यावेदन किया जाता है, तो उस पर विधि के अनुसार उसके गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. तदनुसार, याचिका को स्वीकार किया जाता है।

सही/–
फखरुद्दीन
न्यायाधीश
06/01/2005

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MS MITA TANDIA, ADV.